



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092024-256824  
CG-DL-E-02092024-256824

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 486]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2024/भाद्र 8, 1946

No. 486]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2024/BHADRA 8, 1946

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 526(अ).—राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग संशोधन नियम, 2024, जिसका केंद्र सरकार प्रस्ताव करती है, का निम्नलिखित प्रारूप एतद्वारा इससे संभावित रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि संशोधन नियमों का उक्त प्रारूप सरकारी राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ लिया जाएगा। आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो तो उन्हें श्री अमित कुमार, अवर सचिव, एएचएस प्रभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं. 331, सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली के पते पर भेजें या hrhcell-mohfw@nic.in अथवा jatisharma.99@gov.in ई-मेल के माध्यम से भेजें। संशोधन नियमों के उक्त प्रारूप के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

### प्रारूप संशोधन नियम

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 14) की धारा 65 की उप-धारा (2) के खंड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग नियम, 2021 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) ये नियम राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग संशोधन नियम, 2024 हैं।
- (2) वे नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग नियम, 2021 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 3, उप-नियम (4) में निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"अंशकालिक सदस्य सत्तर वर्ष की आयु पूरी होने पर पद पर नहीं रहेंगे।"

3. उक्त नियमों के नियम 3, उप-नियम (5) में निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"किसी सदस्य का मृत्यु, त्याग पत्र या हटाए जाने सहित किसी भी कारण से पद रिक्त हो जाता है, तो राज्य सरकार यथाशीघ्र तीन महीने के भीतर उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नामित करेगी और यह नामित व्यक्ति शेष कार्यकाल के लिए ही आयोग में सदस्य बना रहेगा।"

4. उक्त नियमों के नियम 4 में उपनियम (4) अंतःस्थापित किया जाता है, यथा:-

"अंशकालिक सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेंगे।"

5. उक्त नियमों के नियम 4 में उपनियम (5) अंतःस्थापित किया जाता है, यथा:-

"किसी सदस्य के मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति, जैसा भी मामला हो, के कारण पद रिक्त होने की स्थिति में अधिनियम की धारा 3 के खंड (ग) के उपखंड (ii) के तहत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पदेन सदस्य वाली समिति ऐसी रिक्ति होने की तिथि से यथाशीघ्र तीन महीने के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्त करेगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति केवल शेष कार्यकाल के लिए ही सदस्य बना रहेगा।"

6. उक्त नियमों के नियम 5 में उपनियम (4) अंतःस्थापित किया जाता है, यथा:-

"अंशकालिक सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेंगे।"

7. उक्त नियमों के नियम 5 में, उपनियम (5) अंतःस्थापित किया जाता है, यथा:-

"किसी सदस्य के मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति, जैसा भी मामला हो, के कारण पद रिक्त होने की स्थिति में, केन्द्र सरकार ऐसी रिक्ति होने की तिथि से यथाशीघ्र तीन महीने के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्त करेगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति केवल शेष कार्यकाल के लिए ही सदस्य बना रहेगा।"

8. उक्त नियमों के नियम 6 में उपनियम (8) अंतःस्थापित किया जाता है, यथा:-

"अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेंगे।" "

9. उक्त नियमों के नियम 6 में उप-नियम (9) अंतःस्थापित किया जाता है, यथा:-

"अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे और इन्हे सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के तहत अंशदान करने का कोई विकल्प नहीं होगा।"

10. उक्त नियमों के नियम 6 में उप-नियम (10) अंतःस्थापित किया जाता है, यथा:-

"अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने कार्यकाल के दौरान केन्द्रीय सेवा (आचरण) नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।"

11. उक्त नियमों में नियम 9 के तहत उप-नियम (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

- (क) किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, चिकित्सा या सहबद्ध और स्वास्थ्य सेवा शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नीति या स्वास्थ्य प्रशासन या जन स्वास्थ्य से संबंधित को अधिमानता।
- (ख) उत्कृष्ट योग्यता तथा सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा;
- (ग) वर्तमान संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या
- (घ) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 या उसके समकक्ष में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ;
- (ङ) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 या उसके समतुल्य या उससे ऊपर न्यूनतम सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ; और
- (च) कम से कम दस वर्ष का प्रशासनिक अनुभव। केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी वैधानिक निकाय में अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।

12. उक्त नियमों में, नियम 17 के अंतर्गत उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

"इस योजना के अंतर्गत सभी आवेदन संबंधित राज्य परिषद को प्रस्तुत किए जाएंगे। जहां कोई राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद नहीं है, वहां आवेदन राष्ट्रीय आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।"

13. उक्त नियमों में, नियम 17 के अंतर्गत उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

"आवेदन शुल्क केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।"

14. उक्त नियमों के नियम 19 के उपनियम (3) में खंड (ङ) अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"आयोग द्वारा सेवाओं का वार्षिक विवरण इन नियमों से संलग्न अनुसूची-II में निर्दिष्ट प्रपत्रों के अनुसार तैयार किया जाएगा।"

15. उक्त नियमों में, नियम 21 अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

**आयोग की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां :-**

- (1) आयोग के प्रशासन का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अध्यक्ष के अधिकारक्षेत्र में होगा।
- (2) आयोग प्रशासनिक और वित्तीय मामलों से संबंधित अपनी ऐसी शक्तियां, जिन्हें वह उचित समझे, अपने सचिव को सौंप सकेगा।

16. उक्त नियमों में, नियम 22 अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

**आयोग की अन्य शक्तियां एवं कार्य :-**

अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट आयोग के कार्यों के अतिरिक्त, आयोग निम्नलिखित कार्य भी करेगा-

- (क) सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों की शिक्षा की लागत को युक्तिसंगत बनाने के लिए अध्ययन करना;

- (ख) शिक्षा की लागत को युक्तिसंगत बनाने तथा इसे और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने, बुनियादी ढांचे के गहन उपयोग, संकाय साझाकरण तथा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में सुझाव देना;
- (ग) विनियमन बनाते समय सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और अन्य हितधारकों, जैसे सहबद्ध पेशेवरों के संघों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के संघों आदि से परामर्श करें।
- (घ) मसौदा विनियमों को तीस दिन की अवधि के लिए आयोग की वेबसाइट पर डालकर इसका व्यापक प्रचार करना तथा आम जनता से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार करना;
- परंतु यह कि विनियमों के अंतिम मसौदे को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से विधायी विभाग के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा।
- (ङ) आयोग द्वारा लिए गए प्रत्येक प्रमुख निर्णय की एक प्रति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को उसके सचिव के माध्यम से भेजेगा तथा उसे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा;
- (च) केन्द्रीय सरकार को ऐसी सूचना या रिपोर्ट उपलब्ध कराना, जिसकी केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए।

17. उक्त नियमों की अनुसूची में, प्रपत्र बी में, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में नोट में बिंदु 2 के अंतर्गत 'मूल रूप में अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र' बताने वाले उप-बिंदु (ग) को हटाया जाए।

18. उक्त नियमों की अनुसूची में, फॉर्म ग को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जा सकता है:

"

### फॉर्म ग

[नियम 13 और 14 देखें]

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 17 के तहत प्रमाण पत्र

#### पंजीयन प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र सं. एनसीएएचपी /

फोटो

नाम	
(पुरुष)/(महिला)/अन्य	
जन्म तिथि	
पता	
पंजीकरण की तिथि और स्थान	
योग्यता	
योग्यता पूर्ण करने की तिथि	
संस्थान/विश्वविद्यालय	

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि यह केंद्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रजिस्टर में ऊपर निर्दिष्ट नाम की सत्य प्रतिलिपि है।

(मुहर)

सचिव, एनसीएचपी  
नई दिल्ली

दिनांक

बार कोड/ क्यूआर कोड

\*\*\*\*\*

**टिप्पणी:**

प्रत्येक पंजीकृत पेशेवर को अपने पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना सचिव को तुरन्त भेजने में सावधानी बरतनी चाहिए तथा सचिव द्वारा उससे संबंधित सभी पूछताछ का उत्तर भी देना चाहिए, ताकि उसका सही पता पंजीकृत पेशेवरों के रजिस्टर में विधिवत् दर्ज किया जा सके।

पते में परिवर्तन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा

(एम) और (एफ़) क्रमशः (पुरुष) और (महिला) को दर्शाता है।

डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में 2,000 रुपये का शुल्क देय होगा। भुगतान का तरीका आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।"

**दूसरी अनुसूची**

[खंड 14 तथा नियम 19(3) देखें]

वार्षिक वित्तीय विवरण

प्ररूप 1

तारीख 31-03..... के अनुसार तुलन पत्र का हिस्सा बनाने वाली की अनुसूची

कॉर्पस/पूजी निधि		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(1)		(2)	(3)
कुल प्रारंभिक शेष			
आय और व्यय खाते से हस्तांतरित कुल अधिशेष/आय का शेष जोड़ें			
वर्ष के दौरान निर्धारित निधि/सहायता अनुदान से बनाई			

गई पूंजीकृत आस्तियां जोड़ें पूर्व अवधि समायोजन - बॉम्बे उपनगर सहित जोड़ें			
विद्युत आपूर्ति (बीएसईएस) रजिस्ट्री शुल्क घटाएँ निरीक्षण शुल्क घटाएँ पूर्व अवधि समायोजन - आरएमजी अग्रिम जोड़ें वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई कुल संपत्ति घटाएँ प्रगतिशील पूंजीगत कार्य जोड़ें प्रगतिशील पूंजीगत कार्य संपत्ति खाते में स्थानांतरित घटाएँ संपत्ति मदों की बिक्री/निपटान/लागत की वसूली के कारण प्राप्त राशि जोड़ें			
तुलन पत्र में स्थानांतरित की गई राशि			

## प्ररूप 2

तारीख 31-03..... के अनुसार तुलन पत्र का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची

आरक्षित और अधिशेष		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(1)		(2)	(3)
1. आरक्षित पूंजी: पिछले खाते के अनुसार वर्ष के दौरान अतिरिक्त घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ			
2. आरक्षित पुनर्मूल्यांकन: पिछले खाते के अनुसार वर्ष के दौरान अतिरिक्त घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ			
3. विशेष आरक्षित:			

पिछले खाते के अनुसार वर्ष के दौरान अतिरिक्त घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ 4. साधारण आरक्षित: पिछले खाते के अनुसार वर्ष के दौरान अतिरिक्त			
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ			
तुलन पत्र में राशि का स्थानांतरण			

## प्ररूप 3(क)

निर्धारित / बंदोबस्ती निधि	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(1)	(2)	(3)
(क) निधि का प्रारंभिक शेष (i) भवन निधि (ख) निधि में वृद्धि: सहायता अनुदान/कॉर्पस योगदान निधियों के कारण किए गए निवेश पर ब्याज जोड़ें: सावधि जमा पर अर्जित ब्याज घटाएँ: उपार्जित ब्याज प्रारंभिक शेष अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें) (क) सुरक्षा जमा (ख) बयाना राशि (ग) विविध प्राप्तियाँ		
कुल (क+ख)		
उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय निधि I. पूंजीगत व्यय		

- निश्चित व्यय (i) सिविल कार्य (ii) वास्तुकार सेवाएँ (iii) एचवीएसी (iv) आंतरिक (v) विद्युत स्थापना (vi) जल/सीवेज (vii) लिफ्ट (viii) अग्नि सुरक्षा उपकरण (ix) सम्मेलन/संचार प्रणाली (x) फर्नीचर और फिक्स्चर (xi) विविध संपत्तियां			
कुल			
<b>II. राजस्व व्यय</b> अन्य प्रशासनिक व्यय (i) हर तरह की चीजें (ii) बीमा (iii) यात्रा व्यय (iv) पानी और सीवरेज (v) विद्युत शुल्क (vi) बैंक शुल्क (vii) आर और एम (एफएफएस)			
कुल			
<b>iii. रिफंड/समायोजन</b> ईएमडी सुरक्षा जमा राशि			
कुल			



वर्ष के अंत में कुल शेष (क+ख+ग)			
निर्धारित / बंदोबस्ती निधि		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(1)		(2)	(3)
टिप्पण: (1) अनुदान से जुड़ी शर्तें प्रकटीकरण सुसंगत शीर्षों के आधार पर किया जाएगा टिप्पण: (2) केंद्रीय/राज्य सरकार से प्राप्त योजनागत निधि को अलग निधि के रूप में दिखाया गया है और इसे किसी अन्य निधि के साथ मिश्रित नहीं किया जाएगा			

## प्ररूप 3(ख)

निर्धारित / बंदोबस्ती निधि		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(1)		(2)	(3)
<b>(क) प्रारंभिक शेष निधि</b> (i) कार्यशाला निधि <b>(ख) निधि में वृद्धि:</b> i. सहायता अनुदान/कॉर्पस योगदान ii. निधियों के कारण किए गए निवेश पर ब्याज iii. सावधि जमा पर अर्जित ब्याज iv. एफडीआर प्रारंभिक शेष पर अर्जित ब्याज घटाएँ (ग) अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें) (घ) कटौती			
<b>कुल (क+ख+ग)-(घ)</b>			
<b>उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय निधि</b> I. पूंजीगत व्यय II. राजस्व व्यय (i) वेतन			

(ii) यात्रा खर्च			
(iii) बैंक शुल्क			
कुल			
वर्ष के अंत में कुल शेष (क-ख)			
अनुसूची 3(क)+3(ख) का कुल योग तुलन पत्र में स्थानांतरण			

## प्ररूप 4

सुरक्षित ऋण और उधार		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(1)		(2)	(3)
1. केंद्र सरकार			
2. राज्य सरकार			
3. वित्तीय संस्थान			
(क) सावधि ऋण			
(ख) अर्जित और देय ब्याज			
4. बैंक:			
(क) सावधि ऋण			
- अर्जित ब्याज और देय			
(ख) अन्य ऋण			
- अर्जित ब्याज और देय			
5. अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ			
6. डिबेंचर और बांड			
7. अन्य			
कुल तुलन पत्र में स्थानांतरण			

## प्ररूप 5

असुरक्षित ऋण और उधार		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(1)		(2)	(3)
1. केंद्र सरकार			
2. राज्य सरकार			
3. वित्तीय संस्थान			
4. बैंक			
(क) सावधि ऋण			
(ख) अन्य ऋण			
5. अन्य संस्थाएँ एवं एजेंसियाँ			
6. डिबेंचर और बांड			
7. सावधि जमा			
8. अन्य			
कुल तुलन पत्र में स्थानांतरण			

## प्ररूप 6

31-03 के अनुसार तुलन पत्र का हिस्सा बनाने वाली

आस्थगित ऋण देनदारियाँ:		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(1)		(2)	(3)
(क) पूंजीगत उपकरण और अन्य परिसंपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियाँ			
(ख) अन्य			
कुल तुलन पत्र में स्थानांतरण			

## प्ररूप 7

## 31-03 के अनुसार तुलन पत्र का हिस्सा बनाने वाली

वर्तमान देनदारियाँ और उपबंध		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(1)		(2)	(3)
<b>क. वर्तमान देनदारियाँ</b> <b>1. स्वीकृतियाँ</b> <b>2. विविध लेनदार:</b> (क) कॉलेजों की बैंक गारंटी (ख) अन्य (सुरक्षा जमा) <b>3. प्राप्त अग्रिम</b> (i) निरीक्षण शुल्क स्नातक (ii) निरीक्षण शुल्क परास्नातक (iii) पंजीकरण शुल्क (iv) अतिरिक्त योग्यता शुल्क (v) अच्छी प्रतिष्ठा प्रमाणपत्र शुल्क (vi) पात्रता प्रमाण पत्र <b>4. अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं:</b> (क) सुरक्षित ऋण/उधार (ख) असुरक्षित ऋण/उधार			
<b>5. वैधानिक दायित्व:</b> (क) अतिदेय (ख) अन्य <b>6. अन्य वर्तमान देनदारियाँ</b> सीजीएचएस कानूनी शुल्क मानदेय/सहायता विज्ञापन शुल्क			

महंगाई भत्ता दृशुशन शुल्क एनपीएस			
सेमिनार एवं कार्यशाला फर्नीचर एवं फिक्स्चर की खरीद आर एंड एम संचार प्रणाली डाक टेलीफोन श्रम उपकर आर एंड एम लिफ्ट चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति आर एंड एम फर्नीचर और फिक्स्चर जनरल बॉडी को यात्रा भत्ता आतिथ्य शुल्क विविध शुल्क बिजली/पानी शुल्क निरीक्षकों को यात्रा भत्ता /महंगाई भत्ता सीएमई बिल किराया दर और कर आर एंड एम बिल्लिंग आर एंड एम कॉपियर और प्रिंटर वेतन			
<b>कुल (क)</b>			
<b>ख: प्रावधान</b> 1. कराधान के लिए 2. ग्रेच्युटी 3. सेवानिवृत्ति/पेंशन			



मशीनरी													
14. नलकूप एवं जल मल													
कुल (चालू वर्ष)													
कुल (पिछला वर्ष)													
ख. प्रगतिशील पूंजीगत कार्य													
कुल (क)+(ख) तुलन पत्र में स्थानांतरण													

स्तंभ 3 में छह महीने या उससे अधिक पर पूरी दर और छह महीने से कम के लिए आधी दर पर मूल्यहास लगाया गया

### प्ररूप 9

#### 31-03.... के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची

निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3. शेयर		
4. डिबेंचर और बांड		
5. सहायक और संयुक्त उद्यम		
6. एफडीआर पर अर्जित ब्याज		
7. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		
कुल		

### प्ररूप 10

#### 31-03.... के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची

निवेश - अन्य	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3. शेयर		

4. डिबेंचर और बांड		
5. सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		
तुलन पत्र में कुल अंतरण		

## प्ररूप 11

## 31-03... के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची....

वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि।	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
<p>क. वर्तमान आस्तियां:</p> <p><u>1. सूची:</u></p> <p>क) भंडार और पुर्जे</p> <p>ख) ढीले उपकरण</p> <p>ग) स्टॉक-इन-ट्रेड</p> <p>तैयार माल</p> <p>कार्य प्रगति पर है</p> <p>कच्चा माल</p> <p>2. विविध देनदार:</p> <p>क) छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण</p> <p>ख) अन्य - निरीक्षण फीस यूजी</p> <p>ग) अन्य - निरीक्षण फीस पीजी</p> <p>3. 31 मार्च को उपलब्ध डाक टिकट</p> <p>4. उपलब्ध नकद शेष (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)</p> <p>5. बैंक बकाया:—</p>		



<p>क) अनुसूचित बैंकों के साथ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- बचत खातों पर (सहायता अनुदान)</li> <li>- जमा खातों पर</li> <li>- बचत खातों पर (स्वयं के संसाधन)</li> </ul> <p>ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- चालू खातों पर</li> <li>-जमा खातों पर</li> <li>-बचत खातों पर</li> </ul> <p><b>6. डाकघर - बचत खाते</b></p>		
<p><b>कुल(क)</b></p>		
<p><b>ख ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां</b></p>		
<p>1. ऋण:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>क) कर्मचारियों को ऋण/अग्रिम</li> <li>मोटर कार/स्कूटर अग्रिम</li> <li>कंप्यूटर अग्रिम</li> <li>त्योहार अग्रिम</li> <li>साइकिल अग्रिम</li> <li>गृह निर्माण अग्रिम</li> <li>टीए अग्रिम</li> <li>आकस्मिक अग्रिम</li> </ul> <p>ख) इकाई के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य</p> <p>संस्थाओं को अग्रिम</p> <p>रिटर्निंग अधिकारी आरएमजी</p> <p>निर्वाचन क्षेत्र</p>		

<p>विज्ञापन अग्रिम</p> <p>ठेकेदारों को अन्य (निर्दिष्ट करें) अग्रिम</p> <p>सीएमई होस्टिंग संस्थान—</p> <p>2. नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ:</p> <p>ए) पूंजी खाते पर</p> <p>बी) संचार प्रणाली के लिए पूर्व भुगतान</p> <p>ग) बीएसईएस के लिए अन्य अग्रिम (टैरिफ दर का समायोजन)</p> <p>घ) सुरक्षा जमा</p> <p>3. अर्जित आय (ब्याज):</p> <p>क) सावधि जमा पर (स्वयं के संसाधन)</p> <p>ख) निवेश पर - अन्य</p> <p>ग) ऋण और अग्रिम पर</p> <p>घ) अन्य (बीएसईएस)</p> <p>4. पूर्व भुगतान खर्च</p> <p>इंडिया इंटरनेशनल सेंटर</p> <p>बीएसईएस</p> <p>विविध प्रभार</p> <p>5. प्राप्य दावे</p>		
<b>कुल(ख)</b>		
सकल कुल (क+ख) तुलन पत्र में अंतरण		

## प्ररूप 12

## 31-03... के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची...

बिक्री/सेवाओं से आय		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
<b>1) बिक्री से आय</b> क) प्रकाशनों की बिक्री ख) प्ररूप की बिक्री (निविदा प्रपत्र) ग) पुराने लेखों/समाचार पत्रों आदि की बिक्री। <b>2) सेवाओं से आय</b> क) श्रम और प्रसंस्करण प्रभार ख) व्यावसायिक परामर्श सेवाएँ ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज घ) रखरखाव सेवाएँ (उपकरण/संपत्ति) ङ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
आय एवं व्यय खाते में कुल अंतरण।			

## प्ररूप 13

## 31-03... के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची...

अनुदान /सब्सिडी	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
<b>1. सहायता अनुदान</b> क) प्रारंभिक शेष ख) वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ ग) वर्ष के दौरान कम पूंजीकृत		
कुल(क+ख-ग)		

## प्ररूप 14

## 31-03.... के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची...

<u>फीस/अभिदान</u>		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सेमिनार/कार्यक्रम फीस			
2. परामर्श फीस			
3. निरीक्षण फीस - वार्षिक एवं अन्य			
4. निरीक्षण फीस			
क) विगत वर्ष (यूजी) के दौरान अग्रिम में प्राप्त निरीक्षण फीस जोड़ें।			
ख) चालू वर्ष के लिए प्राप्य फीस - यूजी			
ग) चालू वर्ष के लिए प्राप्य फीस - पीजी			
घ) वर्ष में प्राप्त कम बकाया निरीक्षण फीस			
<b>कुल(1)</b>			
विभिन्न निरीक्षण फीस			
<b>कुल(2)</b>			
6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
क) प्रवासन			
ख) पात्रता प्रमाण पत्र			
ग) ऐच्छिक प्रशिक्षण			
घ) अच्छी प्रतिष्ठा का प्रमाण पत्र			
ङ) पंजीकरण प्रमाण पत्र			
च) अतिरिक्त योग्यता प्रमाणपत्र			
<b>कुल (3)</b>			
कुल (1+2+3) आय एवं व्यय खाते में अंतरण			

## प्ररूप 15

31-03.... के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची...

<u>निवेश से आय</u>		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(निर्धारित/अंतरित बंदोबस्ती निधि से निवेश पर आय निधियों के लिए)			
1. ब्याज			
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर			
ख) अन्य बांड/डिबेंचर			
2. लाभांश:			
क) शेयरों पर			
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर			
3. किराया			
4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
आय एवं व्यय में कुल अंतरण			

## प्ररूप 16

31-03... के अनुसार आय एवं व्यय खाते की अनुसूची.....

<u>रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय।</u>		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1) रॉयल्टी से आय			
2) प्रकाशन से आय			
3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
आय एवं व्यय खाते में कुल अंतरण			

## प्ररूप 17

## 31-03...के अनुसार आय एवं व्यय खाते की अनुसूची

अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
<p>1) सावधि जमा पर:</p> <p>क) वर्ष के दौरान प्राप्त अनुसूचित बैंकों के ब्याज के साथ अर्जित ब्याज जोड़ें</p> <p>ब्याज जोड़ें (बीएसईएस) कम अर्जित ब्याज (प्रारंभिक शेष)</p> <p>ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ</p> <p>ग) संस्थानों के साथ</p> <p>घ) अन्य</p>		
<b>कुल(1)</b>		
<p>2) बचत खातों पर:</p> <p>क) अनुसूचित बैंकों (जीआरटी) के साथ</p> <p>ख) अनुसूचित बैंकों के साथ (स्वयं के संसाधन)</p> <p>ग) डाकघर बचत खाते</p> <p>घ) अन्य</p>		
<b>कुल (2)</b>		
<p>3) ऋण पर:</p> <p>क) कर्मचारी/स्टॉफ</p> <p>i) कार/स्कूटर अग्रिम पर ब्याज</p> <p>ii) एचबीए पर ब्याज</p> <p>iii) पंखा अग्रिम पर ब्याज</p>		

iv) कंप्यूटर अग्रिम		
v) साइकिल अग्रिम		
vi) अन्य अग्रिम		
<b>कुल (3)</b>		
4) कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज		
i) कार अग्रिम		
ii) स्कूटर अग्रिम		
iii) गृह निर्माण अग्रिम		
iv) कंप्यूटर अग्रिम		
v) कोई अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट करें)		
<b>कुल (4)</b>		
कम: उपार्जित ब्याज – अथशेष		
5) देनदारों और अन्य प्राप्य पर ब्याज (जी.पी. फंड)		
<b>कुल (5)</b>		
<b>कुल योग (1+2+3+4+5)</b> आय एवं खाते में कुल अंतरण टिप्पण बैंक द्वारा स्रोत पर कोई आयकर कटौती नहीं की गई है।		

## प्ररूप 18

## 31-03.... के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची...

अन्य आय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1) आस्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:		
क) स्वामित्व वाली संपत्ति		
ख) अनुदान से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त संपत्ति		

2) प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन		
3) विविध सेवाओं के लिए फीस		
4) विविध आय/प्राप्तियाँ		
क) अन्य पंजीकरण प्रमाणपत्र आदि के लिए फीस		
ख) डाक फीस		
ग) तिमाही किराया		
घ) आरटीआई अधिनियम के अधीन फीस		
ङ) भवन किराया		
च) अन्य पक्षकारों से रसीद		
छ) विविध प्राप्तियां (जीआरटी)		
ज) आईएमआर में संशोधन का प्रावधान (डबल्यू/ऑफ)		
आय एवं व्यय खाते में कुल अंतरण		

प्ररूप 19

31-03.... के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची...

तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (कमी) और प्रगति पर कार्य	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क) अंत स्टॉक - तैयार माल - प्रगति पर कार्य		
ख) कम: प्रारंभिक स्टॉक - तैयार माल - प्रगति पर कार्य		
शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क-ख) आय और व्यय खाते में अंतरण		



## प्ररूप 20

## 31-03.... के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची

स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क) वेतन और मज़दूरी		
ख) भत्ते और बोनस		
ग) भविष्य निधि में योगदान		
घ) अन्य निधि में योगदान (पेंशन)		
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय		
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभों पर व्यय (छुट्टी का नकदीकरण)		
<b>कुल ( क )</b>		
छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) देय बकाया बिल		
जोड़ें:- बकाया देय बिल		
मानदेय / सचिवीय सहायता		
वेतन		
एलटीसी		
डीए		
मैडिकल दावा		
ट्यूशन फीस		
छुट्टी का नकदीकरण		
सीजीएचएस		
एनपीएस		

ज) प्रावधान उपदान संचित अवकाश नकदीकरण व्यापार वारंटी/दावा		
कुल (ख)		
कुल (ग) कम: देय प्रारंभिक शेष बिल		
कुल योग (क)+(ख)-(ग) आय और व्यय खाते में अंतरण		

## प्ररूप 21

31-03.... के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची का भागरूप

प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1	2	3
बिजली और जल प्रभार		
बीमा		
मरम्मत और रखरखाव		
किराया, दरें और कर		
यान संचालन और रखरखाव		
मुद्रण		
लेखन सामग्री		
यात्रा और वाहन व्यय		
विचार गोष्ठी/कार्यशाला		
लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक (फीस) पर व्यय		
आतिथ व्यय		

विधिक/व्यावसायिक प्रभार विज्ञापन आरएमजी निर्वाचन टेलीफोन डाक ई-शासन परियोजना बैंक प्रभार (स्वयं के संसाधन) विविध प्रभार अन्य निकायों श्रम उपकर की सदस्यता आर एंड एम कम्युनिकेशंस निरीक्षकों को टीए/डीए फर्नीचर और फिक्स्चर की खरीद आर एंड एम फर्नीचर और फिक्स्चर की मरम्मत और रखरखाव लिफ्ट की मरम्मत और रखरखाव बिल्डिंग की मरम्मत और रखरखाव		
<b>कुल</b>		
कम: आदि अतिशेष बकाया देय बिल जोड़ें: वर्ष के लिए लेखापरीक्षा फीस का उपबंध जोड़ें: डाक टिकटों का प्रारंभिक स्टॉक कम: डाक टिकटों का अंतिम स्टॉक		

घटाएं: लेखा परीक्षा फीस के लिए उपबंध - आदि अतिशेष		
आय और व्यय खाते में कुल योग अंतरण		

**प्ररूप 22**

31-03... की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते की अनुसूची का भागरूप

अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1	2	3
क) संस्था/संगठनों को दिया गया अनुदान		
ख) संस्था/संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी		
आय और व्यय खाते में कुल अंतरण		
टिप्पण: ईकाइयों का नाम, उनके क्रियाकलाप के साथ अनुदान/सब्सिडी की रकम प्रकटित की जाती है।		

**प्ररूप 23**

31-03... की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते की अनुसूची का भागरूप

ब्याज	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1	2	3
क) नियत ऋण पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)		
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
आय और व्यय खाते में कुल अंतरण		

## प्ररूप 24

## 31-03... की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय खाते की अनुसूची का भागरूप

अनुदान से व्यय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1	2	3
क) सहायता अनुदान शिक्षा		
ख) आईएमआर का पुनरीक्षण और मुद्रण		
ग) उपस्करों की खरीद		
घ) जोड़ें: अग्रिम वसूलियां सीएमई		
जोड़ें: बकाया सीएमई देय बिल		
कम: सीएमई के लिए अग्रिम संकाय		
कम: बकाया - सीएमई बिलों का संकाय किया गया		
उपबंध:		
आईएमआर का मुद्रण और संशोधन		
कम: आईएमआर में पुनरीक्षण का उपबंध		
आय और व्यय खाते में कुल अंतरण		

## प्ररूप 25

## 31 मार्च की स्थिति के अनुसार आय और व्यय खाते की अनुसूची का भागरूप

कोई अन्य संकाय-अग्रिम और पूर्वसंदन्त व्यय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
कार/स्कूटर अग्रिम		
त्योहारअग्रिम		
गृह निर्माण अग्रिम		
किराया दर और कर		
आरएमजी निर्वाचन		

अन्य निकायों की सदस्यता		
संचार प्रणाली-अग्रिम		
कंप्यूटर अग्रिम		
बीमा		
पूर्वसंदन्त साइकिल अग्रिम		
विविध प्रभार		
<b>कुल</b>		

**प्ररूप 26**

**31 मार्च की स्थिति के अनुसार आय और व्यय खाते की अनुसूची का भागरूप**

कोई अन्य प्राप्ति-वसूली/अग्रिम/पूर्वसंदन्त और पूर्व संदन्त व्यय का समायोजन	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1	2	3
गृह निर्माण अग्रिम-वसूली		
कंप्यूटर अग्रिम-वसूली		
आरएमजी निर्वाचन अग्रिम-समायोजित		
त्योहार अग्रिम-वसूली		
साइकिल अग्रिम-वसूली		
कार/स्कूटर अग्रिम-वसूली		
अग्रिम/पूर्व संदन्त		
समायोजित (आईआईसी) विविध प्रभार		
अग्रिम/पूर्व संदन्त समायोजित (बीमा)		
<b>कुल</b>		

## प्ररूप 27

31 मार्च की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची का भागरूप  
खातों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर टिप्पण

1. व्यय का वर्गीकरण और राजस्व पहचान की वर्गीकरण
2. स्थिर आस्तियां और मूल्यहास

क्र.सं.	मद	मूल्यहास की दर
	भवन - (कार्यालय)	10%
	भवन - (गेस्ट हाउस)	05%
	फर्नीचर और फिक्स्चर	10%
	वाहन	15%
	कार्यालय उपस्कर	15%
	कंप्यूटर	60%
	प्रकीर्ण स्थिर आस्तियां	15%
	जेनरेटर/विद्युत प्रतिष्ठान	10%
	पुस्तकें	100%
	संचार और सम्मेलन प्रणाली	15%
	हीटिंग और कूलिंग उपस्कर	10%
	अग्नि सुरक्षा उपस्कर	10%
	लिफ्ट	15%
	ट्यूबवेल और जल सीवरेज प्रणाली	10%

3. अनुदान सहायता/निर्धारित निधि से अर्जित स्थिर आस्तियों के संबंध में लेखांकन उपचार
4. निवेश
5. समग्र/पूंजीगत निधि
6. सेवानिवृत्ति लाभ/कर्मचारी पेंशन निधि
7. सामान्य भविष्य निधि
8. आकस्मिक दायित्व
9. लेखांकन नीतियों और तात्विक प्रभाव में परिवर्तन  
(प्रस्तावित विवरण)

10. वित्तीय विवरण तैयार करते समय, लेखांकन की प्रोड्युवन प्रणाली, चालू समुत्पान की अवधारणा, मिलान अवधारणा और स्थिरता के सिद्धांत को बनाए रखा गया है।

11. वर्तमान आस्तियां में हाथ में डाक टिकट, नकदी और बैंक अतिशेष, प्रोदभूत ब्याज, पूर्व-संदत्त व्यय सम्मिलित हैं और जिनका व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में प्रापण पर मूल्य कम से कम तुलन पत्र में दिखाई गई कुल रकम के बराबर है।
12. सहायता अनुदान खाते और स्वयं के संसाधन खाते के पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनः समूहित किया गया है।
13. आंकड़ों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

**प्ररूप 27 (क)**

**राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग, नई दिल्ली**  
**प्राप्ति और संकाय खाता - सहायता अनुदान, स्वयं के संसाधन, भवन निधि**  
**कार्यशाला निधि 1 अप्रैल से .... 31 मार्च तक ...**

प्राप्ति	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	संदाय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 अप्रैल तक आदि अतिशेष नकद और बैंक सहायता अनुदान जीआरटी सहित स्वयं के संसाधन <b>कुल (1)</b> स्वयं के संसाधन बैंक में स्वयं के संसाधन वाला एसबी खाता एफ.डी.आर <b>कुल (2)</b> भवन निधि और कार्यशाला निधि बैंक में कार्यशाला खाता बचत बैंक खाता एफ.डी.आर <b>कुल (3)</b> कुल योग (1+2+3) सहायता अनुदान स्वयं के संसाधनों का उपयोग				स्थापना वेतन और मजदूरी वेतन श्रेणी वेतन व्यसाय निषेध भत्ता प्रतिनियुक्ति भत्ता महंगाई भत्ता मकान किराया भत्ता शैक्षणिक भत्ता परिवहन भत्ता मजदूरी व्यक्तिगत और विशेष संकाय <b>कुल(1)</b> <b>अन्य</b> <b>भत्ता</b> वर्दी धुलाई भत्ता ट्यूशन फीस कर्मचारियों को बोनस ओटीए			



कुल वसूलियां वेतन और मजदूरी वेतन महंगाई भत्ता सीसीए कुल (1) कर्मचारी कल्याण कर्मचारियों को एलटीसी सीजीएचएस कुल (2) कर्मचारी भविष्य निधि सामान्य भविष्य निधि कुल (3)				कर्मचारियों को मानदेय बैठक फीस कुल(2) कर्मचारी भविष्य निधि सामान्य भविष्य निधि कुल(3) कर्मचारी कल्याण व्यय चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति सीजीएचएस कर्मचारियों को एलटीसी समाचार की प्रतिपूर्ति कागज़ कुल(4)			
--	--	--	--	--	--	--	--

## प्ररूप 27 (ख)

सहायता अनुदान, स्वयं के संसाधन, भवन निधि

कार्यशाला निधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ...

प्राप्ति	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	संदाय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ छुट्टी का नकदीकरण कर्मचारियों को उपदान कुल(4) कुल(1+2+3+4) अर्जित ब्याज बैंक से ब्याज एसबी खाता संख्या निवेश (स्वयं के समाधान) निवेश				कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ छुट्टी का नकदीकरण कर्मचारियों को उपदान कुल(5) कुल(1+2+3+4+5) आस्तियों की खरीद कार्यालय उपस्कर फर्नीचर और			

<p>( भवन निधि )  <b>कुल(1)</b>  <b>ब्याज पर</b>  <b>अग्रिम</b>  साइकिल अग्रिम  कार अग्रिम  स्कूटर अग्रिम  एचवीए  कंप्यूटर अग्रिम  <b>कुल(2)</b>  <b>कुल(1+2)</b>  <b>अग्रिम फीस</b>  निरीक्षण फीस-यूजी  रजिस्ट्रीकरण फीस  अतिरिक्त अर्हता का  प्रमाण पत्र  अच्छे व्यवहार का प्रमाण  पत्र  पात्रता प्रमाणपत्र फीस  निरीक्षण फीस -पीजी  <b>कुल(1)</b></p>				फिक्स्चर विविध कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर हीटिंग और कूलिंग उपस्कर यान सम्मेलन प्रणाली संचार प्रणाली जनरेटर नलकूप अग्निशमन प्रणालियों <b>कुल</b> <b>यान का रखरखाव</b> कर्मचारी गाड़ियाँ पीओएल <b>कुल(1)</b> <b>मरम्मत और</b> <b>रखरखाव</b> अग्नि प्रणाली भवन संचार प्रणाली सम्मेलन प्रणाली कार्यालय उपस्कर सामान्य विद्युत स्थापना कंप्यूटर/सहायक उपस्कर फर्नीचर और फिक्स्चर हीटिंग और कूलिंग।			
---	--	--	--	---	--	--	--

## प्ररूप 27 (ग)

सहायता अनुदान, स्वयं के संसाधन, भवन निधि

कार्यशाला निधि 1 अप्रैल से ..... से 31 मार्च तक .....

प्राप्ति	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	संदाय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
फीस वार्षिक निरीक्षण फीस निरीक्षण फीस (पीजी) अतिरिक्त निरीक्षण फीस निरीक्षण फीस ओटीएच निरीक्षण फीस (नया एमसी) निरीक्षण फीस(एचसी) निरीक्षण फीस (सीटें) ऐच्छिक प्रशिक्षण डीआईजी/डीआईपी का रजिस्ट्रीकरण पूर्ण फीस सत्यापन/ कॉम्प फीस आरटीआई मान्यता फीस आईएमआर फीस प्रवासन फीस पात्रता प्रमाणपत्र. फीस अच्छी प्रतिष्ठा का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण फीस अतिरिक्त अर्हता का प्रमाण पत्र कुल(2)				फोटोकॉपियर/फैक्स लिफ्ट कुल(2) स्थापना व्यय आरएमजी निर्वाचन विज्ञापन लेखन-सामग्री टेलीफोन डाक मुद्रण बिजली और पानी विधिक/ व्यवसायिक सीएच आतिथ्य व्यय बैंक प्रभार (स्वयं) बैंक प्रभार (जीआरटी) कार्यालय का बीमा विविध मुफ्त फीस लेखापरीक्षा फीस किराया दर और कर अन्य को सदस्यता विचार गोष्ठी और कार्यशाला ई-शासन परियोजना कुल(3) यात्रा भत्ता सचिव और कर्मचारी निरीक्षकों			

कुल(1+2) अन्य प्राप्तियां पुरानी वस्तुओं की बिक्री तिमाही किराया विविध प्रभार निविदा की बिक्री प्रारूप भवन किराया विविध रसीद प्रकाशन की बिक्री सुरक्षा जमा राशि अन्य रजिस्ट्रीकरण /प्रमाणपत्र के लिए फीस कुल वसूलियां और वापसी यात्रा भत्ता साधारण निकाय विदेश यात्रा सचिव और कर्मचारी उप समिति निरीक्षक अन्य कुल(1)				विदेश यात्रा वाहन प्रभार अन्य(आयोग, बोर्ड और सलाहकार परिषद) कुल(4) कुल(1+2+3+4) अग्रिम फीस समायोजन निरीक्षण फीस-यूजी पंजीकरण फीस अतिरिक्त अर्हता का प्रमाण पत्र अच्छी प्रतिष्ठा का प्रमाण पत्र पात्रता प्रमाणपत्र फीस निरीक्षण फीस-पीजी कुल(1)			
--	--	--	--	--	--	--	--

## प्ररूप 27 (घ)

सहायता अनुदान, स्वयं के संसाधन, भवन निधि,

कार्यशाला निधि

1 अप्रैल..... से 31 मार्च..... तक \_

रसीद	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	संदाय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम राशि  आवास निर्माण अग्रिम				कर्मचारियों को अन्य संदाय ऋण और अग्रिम राशि कार अग्रिम आवास निर्माण			

<p>कार अग्रिम कंप्यूटर अग्रिम त्यौहार अग्रिम स्कूटर अग्रिम साइकिल अग्रिम कुल (2) <b>वसूली और</b> <b>समायोजन - अग्रिम</b> पूर्वसंदत्त बीमा विविध प्रभार <b>कुल (3)</b> <b>कुल (1+2+3)</b> टीडीएस और एलआईसी संविदाकारों के लिए टीडीएस वेतन पर टीडीएस एलआईसी प्रीमियम <b>कुल</b></p>			<p>अग्रिम कंप्यूटर अग्रिम त्यौहार अग्रिम स्कूटर अग्रिम साइकिल अग्रिम <b>कुल (1)</b> <b>अन्य अग्रिम और</b> <b>पूर्वसंदत्त खर्चे</b> विद्युत प्रभार विविध प्रभार <b>कुल (2)</b> <b>कुल (1+2)</b> <b>शुल्क का प्रतिदाय</b> वार्षिक निरीक्षण फीस निरीक्षण फीस चयनात्मक प्रशिक्षण पूर्ण सत्यापन के लिए डीआईपीजी/डीआईपी का रजिस्ट्रीकरण आरटीआई के लिए प्राप्ति शुल्क आईएमआर शुल्क प्रवासन शुल्क पात्रता प्रमाणपत्र शुल्क अच्छी प्रतिष्ठा का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण शुल्क अतिरिक्त अर्हता का प्रमाण पत्र राज्य परिषद को अन्य रजिस्ट्रीकरण भाग के लिए शुल्क <b>कुल (1)</b> <b>अन्य प्रतिदाय</b> अन्य प्रतिभूति निक्षेप <b>कुल (2)</b> <b>कुल (1+2)</b> टीडीएस और एलआईसी संविदाकारों के लिए टीडीएस वेतन एलआईसी प्रीमियम पर</p>			
---	--	--	---	--	--	--

				टीडीएस कुल व्यय सीएमई पुनरीक्षण और मुद्रण स्वयं के संसाधनों को आईएमआर उपस्करों की खरीद अन्य कुल अभिदाय पेंशन निधि कुल बैंक प्रभार अंत अतिशेष नकद और बैंक सहायता अनुदान स्वयं के संसाधन सहित जीआरटी कुल (1) स्वयं के संसाधन स्वयं के संसाधन से एसबी खाता स्वयं के संसाधन से एफडीआर, कुल (2) भवन निधि और कार्यशाला निधि कार्यशाला खाता भवन निधि एसबी खाता बैंक में एफडीआर कुल (3) कुल (1+2+3)			
कुल योग				कुल योग			

**प्ररूप 27 (ड)**  
**31 मार्च..... की स्थिति के पेंशन निधि**  
**अनुसार तुलन-पत्र...**

दायित्व	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
कॉर्पस/पूँजी निधि			
कुल			
<b>आस्ति</b> स्थिर आस्तियां चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम			
<b>कुल</b>			
<b>लेखा अधिकारी</b>			सचिव

**प्ररूप 27 (च)**  
**31 मार्च..... को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूची**

अनुसूची - 1 (पेंशन निधि)	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
कॉर्पस फंड आरंभिक अतिशेष (कॉर्पस निधि ) जोड़ें: मार्च तक बकाया पेंशन			
कुल			
अनुसूची - 2 (पेंशन निधि) बैंक में नकद (बचत खाता) सावधि निक्षेप प्रोद्भूत ब्याज			
कुल			

## प्ररूप 27 (छ)

## 31 मार्च..... को समाप्त वर्ष का आय-व्यय खाता

आय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)
प्राप्त ब्याज वर्ष के लिए प्रोद्भूत ब्याज कमीशन से अभिदाय के आरंभिक अतिशेष को घटाएं		
कुल आय (क)		
व्यय		
(i) पेंशन का संराशिकरण (ii) पेंशन वितरण (iii) मार्च तक बकाया पेंशन		
कुल व्यय (ख)		
अतिरिक्त //( घटा) पेंशन निधि खाते (एबी) में अंतरण		

## प्ररूप 27 (ज)

## 1 अप्रैल.... से 31 मार्च तक ....कर्मचारी पेंशन निधि

प्राप्ति	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	संदाय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 अप्रैल को आरंभिक अतिशेष बैंक में एफआरडी बचत बैंक खाता कुल अभिदाय कुल आयकर				पेंशन संराशिकरण पेंशन वितरण कुल आयकर कुल बैंक प्रभार कुल			



कुल ब्याज/बचत बैंक खाता एफडीआर कुल कुल योग				बैंक प्रभार 31 मार्च को कुल अंत अतिशेष बैंक में एफडीआर बचत बैंक खाता कुल कुल योग			
--	--	--	--	--	--	--	--

## प्ररूप 27 (झ)

1 अप्रैल.... से 31 मार्च तक ....कर्मचारी भविष्य निधि

प्राप्ति	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष	संदाय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 अप्रैल को आरंभिक अतिशेष बैंक में एफडीआर बचत बैंक खाता कुल वसूलियां/अभिदान अग्रिम की वसूली अभिदान कमीशन से अभिदाय कुल ब्याज एफडीआर बचत बैंक खाता कुल				निकासी/संदाय ऋण और अग्रिम कमीशन का प्रतिदाय कुल बैंक प्रभार कुल 31 मार्च को अंत अतिशेष बैंक में एफडीआर बचत बैंक खाता कुल			
कुल योग				कुल योग			

## प्ररूप 27 (ज)

31 मार्च.... की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि  
तुलन-पत्र

देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कॉर्पस फंड/पूंजी फंड कमीशन को देय ब्याज			
कुल			
संपत्तियाँ			
अचल संपत्तियाँ चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम			
कुल			
लेखा अधिकारी			सचिव

## प्ररूप 27 (ट)

31 मार्च.... की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि  
तुलन-पत्र अनुसूची के भाग के रूप में

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)
अनुसूची - 1 - जीपीएफ/ईपीएफ खाता पीएफ - कॉर्पस निधि आरंभिक अतिशेष  जोड़ें: अभिदान/अग्रिम वसूली अभिदाता को संदत्त ब्याज का भुगतान व्यय पर आय की अधिकता/(घाटा)।		

वसूली योग्य ऋण अन्य		
<b>कुल</b>		
कम निकासी		
<b>नई कॉर्पस निधि</b>		
<b>अनुसूची-2</b>		
संदेय ब्याज		
<b>कुल</b>		
<b>अनुसूची - 3 - चालू आस्तियां</b>		
बैंक अतिशेष और सावधि निक्षेप		
प्रोद्भूत ब्याज		
वसूली योग्य ऋण		
<b>कुल</b>		

## प्ररूप 27 (ठ)

31 मार्च..... को समाप्त वर्ष का कर्मचारी भविष्य निधि  
आय और व्यय खाता

आय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)
अर्जित ब्याज		
जोड़ें: वर्ष के लिए प्रोद्भूत ब्याज		
घटाएँ: प्रोद्भूत ब्याज आरंभिक कमीशन अभिदाय		
<b>कुल</b>		
<b>व्यय</b>		
बैंक प्रभार		
अभिदाता को संदत्त ब्याज		
संदत्त/कमीशन खाते में संदेय ब्याज		
<b>कुल</b>		
व्यय पर आय की अधिकता/(घाटा)।		
जीपीएफ खाते को अंतरण।		

## प्ररूप 27 (ड)

1 अप्रैल.... से 31 मार्च तक ....कर्मचारी भविष्य निधि

प्राप्ति	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	संदाय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 अप्रैल को आरंभिक अतिशेष बैंक में एफडीआर बचत बैंक खाता कुल वसूलियां/ अभिदान अग्रिम वसूली अभिदान कमीशन से अभिदाय कुल व्याज एफडीआर बचत बैंक खाता कुल				निकासी/ संदाय ऋण और अग्रिम कमीशन को प्रतिदाय कुल बैंक प्रभार कुल 31 मार्च तक अंत अतिशेष बैंक में एफडीआर बैंक बचत खाता कुल			
कुल योग				कुल योग			

[फा. सं. जेड-28016/23/2024-एएचएस]

पुष्पेन्द्र राजपूत, संयुक्त सचिव

[नोट: राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग नियम, 2021 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 346 (अ), दिनांक 27 मई, 2021 के तहत प्रकाशित किए गए थे।]

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th August, 2024

**G.S.R. 526(E).**—The following draft of National Commission for Allied and Healthcare Professions Amendment Rules, 2024, which the Central Government, proposes to make, is hereby published for the information of persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft amendment rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public. Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Amit Kumar, Under Secretary, AHS Division, Ministry of Health and Family Welfare, Room No. 331, C Wing, Nirman Bhawan, New Delhi, or may be sent through e-mail at **hrhcell-mohfw@nic.in** or **jatinsharma.99@gov.in**. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to said draft amendment rules, before the expiry of the period so specified above, will be considered by the Central Government.

**Draft amendment rules**

In exercise of the powers conferred by clause (s) of sub-section (2) of section 65 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Commission for Allied and Healthcare Professions Rules, 2021, namely:—

- (1) These Rules may be called the National Commission for Allied and Healthcare Professions Amendment Rules, 2024.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the National Commission for Allied and Healthcare Professions Rules, 2021, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, sub-rule (4) may be inserted, namely:-
 

"The Part-time Members shall, cease to hold office on attaining the age of seventy years."
  3. In rule 3 of the said rules, sub-rule (5) may be inserted, namely:-
 

"In the event of occurrence of vacancy of a member including by reason of death, resignation or removal, the State Government shall nominate another person in his place at the earliest and within three months and the person so nominated shall remain a Member in the Commission only for the remaining term."
  4. In rule 4 of the said rules, sub-rule (4) may be inserted, namely:-
 

"The Part-time members shall, cease to hold office on attaining the age of seventy years"
  5. In rule 4 of the said rules, sub-rule (5) may be inserted, namely:-
 

"In the event of occurrence of vacancy of a member including by reason of death, resignation or removal, as the case may be the Committee comprising of Chairperson, Vice-Chairperson and ex-officio member under sub-clause (ii) of clause (c) of Section 3 of the Act shall appoint another person as Member at the earliest within three months from the date of occurrence of such vacancy and the person so appointed shall remain a member only for the remaining term"
  6. In rule 5 of the said rules, sub-rule (4) may be inserted, namely:-
 

"The Part-time members shall, cease to hold office on attaining the age of seventy years"
  7. In rule 5 of the said rules, sub-rule (5) may be inserted, namely:-
 

"In the event of occurrence of vacancy of a member including by reason of death, resignation or removal, as the case may be the Central Government shall appoint another person as Member at the earliest within three months from the date of occurrence of such vacancy and the person so appointed shall remain a member only for the remaining term"
  8. In rule 6 of the said rules, sub-rule (8) may be inserted, namely:-
 

"The Chairperson, Vice Chairperson shall, cease to hold office on attaining the age of seventy years."
  9. In rule 6 of the said rules, sub-rule (9) may be inserted, namely:-
 

"The Chairperson and Vice-Chairperson shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 and there shall be no option to subscribe under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960."

10. In rule 6 of the said rules, sub-rule (10) may be inserted, namely:-

"The Chairperson and Vice-Chairperson shall be governed by the provisions of the Central Service (Conduct) Rules during their tenure"

11. In the said rules, sub-rule (2) under rule 9, may be substituted as under:

"

- (a) post-graduate degree in any discipline , preferably related to medical or allied and healthcare education or healthcare policy or health administration or public health from any University;
- (b) outstanding ability and proven administrative capacity and integrity;
- (c) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department; or
- (d) with minimum three years' regular service in level 13 in the pay matrix or equivalent thereto;
- (e) with minimum seven years' regular service in level 12 in the pay matrix or equivalent thereto or above; and
- (f) administrative experience of not less than ten years. Experience in the Central Government or a State Government or any statutory body will be preferred"

12. In the said rules, sub-rule (1) under rule 17, may be substituted as under:-

"All applications under this Scheme shall be submitted to the concerned State Council. In case, where there is no State Allied & Healthcare Council, the application shall be submitted to the National Commission."

13. In the said rules, sub-rule (5) under rule 17, may be substituted as under:-

"The Application fee shall be determined by the Commission with the approval of Central Government"

14. In sub-rule (3) of rule 19 of the said rules, clause (e) may be inserted, namely:-

"The annual statement of accounts shall be prepared by the Commission as per the Forms specified in the Schedule-II annexed to these rules"

15. In the said rules, rule 21 may be inserted, namely:-

**"Administration and financial powers of Commission:-**

- (1) The general superintendence, direction and control of the administration of the Commission shall vest in the Chairperson
- (2) The Commission may delegate such of its powers of administrative and financial matters, as it deems fit, to its Secretary.

16. In the said rules, rule 22 may be inserted, namely:-

**"The other powers and functions of Commission:-**

In addition to the functions of the Commission specified in section 11 of the Act, the Commission shall-

- (a) undertake study to rationalize the cost of education of allied and healthcare professions;
- (b) suggest among others, adoption of modern technology, intensive use of infrastructure, faculty sharing and global best practices with a view to rationalize the cost of education and make it more accessible;
- (c) while making regulations, consult all State Governments, Union territory Administrations and other stakeholders, such as associations of allied professions, associations of healthcare professions etc.
- (d) give wide publicity to the draft regulations by placing it on the website of the Commission for a period of thirty days and considering the objections or suggestions as may be received from the general public;

provided that the final draft of the regulations shall be finalised in consultation with the Legislative Department through the Ministry of Health and Family Welfare

- (e) endorse a copy of each major decision taken by the Commission to the Ministry of Health and Family Welfare through its Secretary and publish it on the website of the Commission;
- (f) furnish such information or report to the Central Government as may be required by the Central Government from time to time.

17. In the Schedule of said rules, in the Form B, Sub-Point (c) stating '*provisional registration certificate in original*' under point 2 in the Note regarding documents to be enclosed with application may be deleted.

18. In the Schedule of said rules, the Form C, may be substituted as under:

"

**Form C**

[See Rule 13 and 14]

Certificate under section 17 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021

**Registration Certificate**

Certificate No. NCAHP/



Name	
(M)/(F)/Other	
<b><i>Date of Birth</i></b>	
Address	
Date and place of registration	
Qualification	
Date of completing qualification	
<b><i>Institution/University</i></b>	

It is hereby certified that this is a true copy of the above specified Name in the Central Allied and Healthcare Professional's Register

(SEAL)

Secretary of NCAHP

New Delhi

Dated the

Bar Code/ QR Code

\*\*\*\*\*

**Note:**

1. Every Registered Practitioner should be careful to send the Secretary's immediate notice of any change in his address and also answer all enquiries that may be sent to him by the Secretary in regard thereto in order that his correct address may be duly inserted in the Register of Registered Practitioners.
2. No charge is made for alteration of address
3. (M) & (F) indicates (Male) & (Female) respectively.
4. In case of issuance of Duplicate certificate a fee of Rs. 2,000 is chargeable. The mode of payment will be as specified by the Commission.

**SCHEDULE-II**

[See Clause 14 above and Rule 19(3)]

**ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS****FORM 1**

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31-03.....

CORPUS/CAPITAL FUND	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(1)	(2)	(3)
Net Opening Balance		
Add—Balance of net surplus/income transferred from the Income and Expenditure Account		
Add—Assets Capitalised during the year created from Earmarked Fund/Grant in aid		
Add:-Prior period adjustment—with Bombay Suburban Electric Supply(BSES)		
Less Registration Fee		
Less Inspection Fee		
Add: Prior period adjustment—RMG Advance		
Less:-Net assets written off during the year		
Add:-Capital Work in progress		
Less:-Capital work in progress transferred to Assets A/c		
Add:-Amount realised on account of sale/dispose of/ recovery of the cost of assets items		
Amount transferred to Balance Sheet		

**FORM 2**

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31-03.....

RESERVE AND SURPLUS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(1)	(2)	(3)
Capital Reserve:		
As per last Account Addition during the year		
Less: Deductions during the year		



Revaluation Reserve:		
As per last Account Addition during the year		
Less: Deductions during the year		
Special Reserves:		
As per last Account Addition during the year		
Less: Deductions during the year		
General Reserve:		
As per last Account Addition during the year		
Less: Deductions during the year		
Amount transfer to Balance Sheet		

**FORM 3 (A)**

<b>EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
(a) Opening balance of the funds (i) Building Fund (b) Additions to the Funds:  Grants-in-aid/Corpus Contributions Interest on Investments made on account of funds Add: Accrued interest on fixed deposit  Less: Accrued interest opening balance Other additions (specify nature)  (i) Security Deposit (ii) Earnest Money (iii) Miscellaneous Receipts		
<b>TOTAL(a+b)</b>		
(c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds  I. Capital Expenditure -Fixed Expenditure (i) Civil Work (ii) Architect Services (iii) HVAC (iv) Interior (v) Electric Installation (vi) Water/Sewage (vii) Elevator (viii) Fire Safety Equipment		

(ix) Conference/Communication system (x) Furniture and Fixtures (xi) Miscellaneous Assets		
<b>Total</b>		
II Revenue Expenditure  Other Administrative Expenses (i) Sundries (ii) Insurances (iii) Travelling Expenses (iv) Water and Sewerage (v) Electrical Charges (vi) Bank Charges (vii) Rand M(FFS)		
<b>Total</b>		
III Refunds/Adjustments  EMD Security Deposit		
<b>TOTAL</b>		
NET BALANCE AS ON THE YEAR END (a+b+c)		
<p><b>Note 1:</b> Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants</p> <p><b>Note 2:</b> Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other funds.</p>		

**FORM 3 (B)**

<b>EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
(a) Opening balance of the funds (i) Workshop Fund  (b) Additions to the Funds: (i) Grants-in-aid/Corpus Contributions (ii) Interest on Investments made on account of funds (iii) Accrued interest on fixed deposit (iv) Less Accrued interest on FDR opening balance		

(c) Other additions(specify nature) (d) Deduction		
<b>TOTAL (a+b+c)-(d)</b>		
(e) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds  I. Capital Expenditure  II Revenue (i) Expenditure (ii) Salary (iii) Travelling Expenses (iv) Bank Charges		
<b>TOTAL</b>		
NET BALANCE AS ON THE YEAR END (a-b)		
Grand Total of Schedule 3(A)+3(B) Transfer to Balance Sheet		

**FORM 4**

<b>SECURED LOANS AND BORROWINGS</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1. Central Government		
2. State Government		
3. Financial Institutions		
(a) Term Loans (b) Interest accrued and due		
4. Banks:		
(a) Term Loans -Interest accrued and due		
(b) Other Loans -Interest accrued and due		
5. Other Institutions and Agencies		
6. Debentures and Bonds		
7. Others		
TOTAL Transfer to Balance Sheet		

**FORM 5**

<b>UNSECURED LOANS AND BORROWINGS</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1. Central Government		
2. State Government		
3. Financial Institutions		
4. Banks		
(a) Term Loans		
(b) Other Loans		
5. Other Institutions and agencies		
6. Debentures and Bonds		
7. Fixed Deposits		
8. Others		
TOTAL transfer to Balance Sheet		

**FORM 6**

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31-03.....

<b>DEFERRED CREDIT LIABILITIES:</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
(a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets		
(b) Others		
TOTAL Transfer to Balance Sheet		

## FORM 7

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31-03.....

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(1)	(2)	(3)
<p>A. CURRENT LIABILITIES</p> <p>1. Acceptances</p> <p>2. Sundry creditors:</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) Bank Guarantees of Colleges</p> <p style="padding-left: 40px;">(b) Others(Security Deposit)</p> <p>3. Advances Received</p> <p>(i) Inspection Fee PG</p> <p>(ii) Inspection Fee UG</p> <p>(iii) Registration Fee</p> <p>(iv) Addl. Qualification Fee</p> <p>(v) Certificate Of Good Standing Fee</p> <p>(vi) Eligibility Certificate</p> <p>4. Interest accrued but not due on:</p> <p>(a) Secured Loans/borrowings</p> <p>(b) Unsecured Loans/borrowings</p> <p>5. Statutory Liabilities:</p> <p>(a) Overdue</p> <p>(b) Others</p> <p>6. Other Current Liabilities</p> <p>CGHS</p> <p>Legal Charges Honorarium/Assistance</p> <p>Advertisement Charges Dearness Allowance Tuition Fee</p> <p>NPS</p> <p>Seminar and Workshop</p> <p>Purchase of Furniture and Fixture R and M Communication System Postage</p> <p>Telephone Labour Cess</p> <p>R and M Elevator</p> <p>Re imbursement of Medical Claims</p> <p>R and M Furniture and Fixture</p> <p>TA to General Body Hospitality Charges</p>		





13. Elevator Machinery											
14. Tube well and Water Sewage											
TOTAL (CURRENT YEAR)											
TOTAL (Previous Years)											
B. Capital Work In Progress											
Total(A)+(B)Transfer to Balance Sheet											

Depreciation charged in column (3) for six months or more and full rate and Less than six month at half rate

**FORM 9**

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31-03....

<b>INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUND</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1. Other Government Securities		
2. Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Accrued Interest on Fixed Deposit Receipts		
7. Others(to be specified)		
<b>TOTAL</b>		



**FORM 10**

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31-03....

<b>INVESTMENTS-OTHER</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1. Other Government Securities		
2. Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6.. Others(to be specified)		
<b>TOTAL Transfer to Balance Sheet</b>		

**FORM 11**

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31-03....

<b>CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>A CURRENT ASSESTS:</b>		
1. Inventories:		
(a) Stores and Spares		
(b) Loose Tools		
(c) Stock-in-trade		
Finished Goods		
Work-in- Progress		
Raw Material		

<p>2. Sundry Debtors:</p> <p style="padding-left: 40px;">Debts Outstanding for a period exceeding six months</p> <p style="padding-left: 40px;">Others—Inspection Fee UG</p> <p style="padding-left: 40px;">Others—Inspection Fee PG</p> <p>3. Postage Stamp in hand 31st March</p> <p>4. Cash balance in hand (including cheques/drafts and imprest)</p> <p>5. Bank Balances:</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) With Scheduled Banks:</p> <p style="padding-left: 80px;">On Saving Accounts (Grant in aid)</p> <p style="padding-left: 80px;">On Deposit Accounts</p> <p style="padding-left: 80px;">On Savings Accounts (Own Resources)</p> <p style="padding-left: 40px;">(b) With Non-Scheduled Banks:</p> <p style="padding-left: 80px;">-On Current Accounts</p> <p style="padding-left: 80px;">-On Deposit Accounts</p> <p style="padding-left: 80px;">-On Savings Accounts</p>		
---	--	--

6. Post Office—Savings Accounts		
<b>TOTAL (A)</b>		
<b>B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS</b>		
<p>1. Loans:</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) Loan/Advance to staff</p> <p style="padding-left: 80px;">Motor Car/Scooter Advance</p> <p style="padding-left: 80px;">Computer advance</p> <p style="padding-left: 80px;">Festival Advance</p>		

<p>Cycle Advance</p> <p>House Building Advance</p> <p>TA Advance</p> <p>Contingent Advance</p> <p>(b) Advance to Other Entities engaged in activities/objectives Similar to that of the Entity</p> <p>Returning Officer RMG</p> <p>Constituency</p> <p>Advertisement Advance</p> <p>Other (Specify )Advance to</p> <p>Contractors CME Hosting</p> <p>Institutions</p> <p>2. Advances and other amounts recoverable in cash or ink indoor for value to be received:</p> <p>(a) On Capital Account</p> <p>(b) Prepayments For Communication System</p> <p>(c) Other Advances To BSES (Adjustment of Tariff Rate)</p>		
<p>(d) Security Deposits</p> <p>3. Income Accrued (Interest):</p> <p>(a) On Fixed Deposit (Own Resources)</p> <p>(b) On Investments—Others</p> <p>(c) On Loans and Advances</p> <p>(d) Others(BSES)</p> <p>4. Prepaid Expenses</p> <p>India International</p> <p>Centre BSES</p> <p>Sundries</p> <p>Charges</p>		

5. Claims Receivable		
Total(B)		
Grand Total(A+B) Transfer to Balance Sheet		

**FORM 12**

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31-03.....

<b>INCOME/FROM/SALES/SERVICES</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1. Income from Sales		
(a) Sale of Publications		
(b) Sale of Form(Tender Form)		
(c) Sale of Old Articles/News Papers etc.		
2. Income from Services		
(a) Labor and Processing charges		
(b) Professional Consultancy Services		
(c) Agency Commission and Brokerage		
(d) Maintenance Services(Equipment/Property)		
(e) Others(Specify)		
TOTAL Transfer to Income and Expenditure A/c		

**FORM 13**

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31-03.....

<b>GRANTS/SUBSIDIES</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1. Grant in aid		
(a) Opening balance		
(b) Received during the year		
(c) Less Capitalized during the year		
<b>TOTAL(a+b-c)</b>		

**FORM 14**

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31-03.....

<b>FEES/SUBSCRIPTIONS</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.Seminar/Program Fees		
2. Consultancy Fees		
3. Entrance Fees		
4. Inspection Fees–Annual and Others		
5. Inspection Fee		
(a) Add Inspection Fee received in advances During previous year(UG)		
(b) Fee receivable for Current Year–UG		
(c) Fee receivable for Current Year–PG		
(d) Less Outstanding inspection fee received in the year		
<b>TOTAL (1)</b>		
Various Inspection Fee		
<b>TOTAL(2)</b>		

6. OTHERS (Specify) (a) Migration (b) Eligibility Certificate (c) Elective Training (d) Certificate of Good Standing (e) Registration Certificate (f) Additional Qualification Certificate			
<b>TOTAL (3)</b>			
TOTAL(1+2+3)Transfer to Income and Expenditure A/c			

**FORM 15**

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31-03.....

<b>INCOME FROM INVESTMENTS</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
(Income on Investment from Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)		
1. Interest		
(a) On Government Securities		
(b) Other Bonds/Debentures		
2. Dividends:		
(a) On Shares		
(b) On Mutual Fund Securities		
3. Rents		
4. Others(Specify)		
<b>TOTAL</b> Transfer to Income and Expenditure		

**FORM 16**

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME And EXPENDITURE A/C AS ON 31-03.....

<b>INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
(1) Income from Royalty		
(2) Income from Publications		
(3 )Others (specify)		
<b>TOTAL</b> Transfer to Income and Expenditure A/c		

**FORM 17**

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME and EXPENDITURE A/C AS ON 31-03.....

<b>INTEREST EARNED</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1. On Term Deposits:		
(a) scheduled Banks With Interest received during the year Add Accrued interest Add interest(BSES) Less Accrued Interest Op.Balance)		
(b) With Non-Scheduled Banks		
(c) With Institutions		
(d) Others		
<b>Total(1)</b>		
2. On savings Accounts:		
(a) With Scheduled Banks(GRT)		
(b) With Scheduled Banks(Own Resources)		
(c) Post Office Savings Accounts		
(d) Others		
<b>Total(2)</b>		

3. On Loans:  Employees/Staffs (i) Interest on Car/Scooter Advance (ii) Interest on HBA (iii) Interest on Fan Advance (iv) Computer Advance (v) Cycle Advance (vi) other advance		
<b>Total(3)</b>		

4. Accrued Interest on Loans and Advances to Employees  (i) Car Advance (ii) Scooter Advance  (iii) House Building Advance  (iv) Computer Advance  (v) Any other Advances(specify)		
<b>Total (4)</b>		
Less : Accrued Interest- Op. Bal.		
5. Interest on Debtors and Other Receivables (G.P. Fund)		
<b>Total (5)</b>		
Grand TOTAL (1+2+3+4+5) Transfer to Income and Expenditure A/c		
<b>Note:</b> No Income Tax has been deducted at source by Bank		

**FORM 18**

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31-03.....

<b>OTHER INCOME</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
(1)	(2)	(3)
Profit on sale/disposal of Assets: (a) Owned assets		



(b) Assets acquired out of grants, or received free of cost Export Incentives realized Fees for Miscellaneous Services 4. Miscellaneous Income/Receipts (a) Fee for Other Registration Certificate etc. (b) Postage (c) Quarter Rent (d) Fee under RTI Act (e) Building Rent (f) Receipt from Other Parties (g) Sundries Receipt (GRT) (h) Provision of Revision of IMR(w/off)		
TOTAL Transfer to Income and Expenditure A/c.		

**FORM 19**

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31-03.....

<b>INCREASE (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS and WORK IN PROGRESS</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
(a) Closing Stock (i) Finished Goods (ii) Work in Progress (b) Less: Opening Stock (i) Finished Goods (ii) Work in Progress		
NET INCREASE/(DECREASE) (a-b) Transfer to Income and Expenditure A/c.		

**FORM 20**

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31-03.....

<b>ESTABLISHMENT EXPENSES</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
(a) Salaries and Wages		
(b) Allowances and Bonus		
(c) Contribution to Provident Fund		
(d) Contribution to Other Fund (Pension)		
(e) Staff Welfare Expenses		
(f) Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits (Encashment of Leave)		
<b>TOTAL (A)</b>		
(g) Others (specify) Outstanding bills payable Add: - Outstanding bills payable Honorarium / Secretarial Assistance Wages LTC DA Medical Claim Tuition Fee Encashment of Leave CGHS NPS		
(h) Provision Gratuity Accumulated Leave Encashment Trade Warranties/Claims		
<b>Total (B)</b>		

Total (C)Less: Opening Balance Bills Payable		
Grand Total (A)+(B)-(C)Transfer to Income and Expenditure A/c.		

**FORM 21**

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31-03.....

<b>ADMINISTRATIVE EXPENSES</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Electricity and Water Charges		
Insurance		
Repairs and maintenance		
Rent, Rates and Taxes		
Vehicles Running and maintenance		
Printing		
Stationery		
Travelling and Conveyance Expenses		
Expenses on Seminar / Workshop Auditors Remuneration (Fee)		
Hospitality Expenses		
Legal/Professional Charges		
Advertisement		
RMG		
Election		
Telephone		
Postage		
E-Governance Project		
Bank Charges (Own Resources)		
Sundries charges		

Membership to Other Bodies Labour Cess		
R and M Communications		
TA/DA to Inspectors		
Purchase of Furniture and Fixture		
Repairs and Maintenance of Furniture and Fixture		
Repairs and Maintenance of Elevator		
Repairs and Maintenance of Building		
<b>TOTAL</b>		
Less: Opening Balance Outstanding bills payable		
Add: Provision for Audit Fee for the year Add: Opening stock of postage stamps Less: Closing stock of postage stamps		
Less: Provision for Audit Fee— Opening balance		
Grand Total Transfer to Income and Expenditure A/c		

**FORM 22**

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME and EXPENDITURE A/C AS ON 31-03....

<b>EXPENDITURE ON GRANTS SUBSIDIES ETC.</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
(a) Grants given to institution/Organizations		
(b) Subsidies given to institution/Organizations		
TOTAL Transfer to Income and Expenditure A/c.		
Note: Name of the entities, their activities along with the amount of grants/ subsidies are to be disclosed.		

**FORM 23**

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME and EXPENDITURE A/CAS ON 31-03....

<b>INTEREST</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUSYEAR</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
(a) On Fixed Loans		
(b) On Other Loans (including Bank Charges)		
(c) Others(specify)		
<b>TOTAL</b> Transfer to Income and Expenditure A/c.		

**FORM 24**

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME and EXPENDITURE A/C AS ON 31-03....

<b>EXPENDITURE FROM GRANTS</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Grant in Aid		
(a) Continuing Medical Education		
(b) Revision and Printing of IMR		
(c) Purchase of equipments		
(d) Add: Advance Recovered CME Add:		
Outstanding CME Bills		
payable Less: Advance		
Paid for CME		
Less: Outstanding—CME		
Bills paid for Provisions:		
Printing and Revision of IMR		
<b>Less:</b> provision of Revision of IMR		
<b>TOTAL</b> Transfer to Income and Expenditure A/c.		

**FORM 25**

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME and EXPENDITURE A/C AS ON 31stMarch.....

<b>Any other payments- Advances and Pre paid expenses</b>	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Car/Scooter Advance		
Festival Advance		
House Building Advance		
Rent Rate and Taxes		
RMG Election		
Membership to other bodies		
Communication System Advance		
Computer Advance		
Insurance		
Pre paid cycle Advance		
Sundries charges		
Total		

**FORM 26**

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME and EXPENDITURE A/C AS ON 31stMarch.....

<b>ANY OTHER RECEIPT- RECOVERY/ADJUSTMENT OF ADVANCE/PRE PAID AND PRE-PAID EXPENSES</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
House Building Advance- recovery		
Computer Advance- recovery		
Election Advance Adjusted		
Festival advance -Recovery		
Cycle Advance- Recovery		

Car scooter Advance- recovery		
Advance / Pre paid		
Adjusted (IIC) Sundries		
Charges		
Advance/Pre paid (Adjusted (Insurance)		
Total		

**FORM 27**

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31stMarch.....

## NOTES ON ACCOUNTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. CLASSIFICATION OF EXPENDITURES and REVENUE RECOGNITION

2. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

Sl.No.	ITEM	RATE OF DEPRECIATION
(1)	(2)	(3)
	(i) Building—(office)	10%
	(ii) Building—(Guest house)	05%
	(iii) Furniture and Fixtures	10%
	(iv) Vehicles	15%
	(v) Office Equipments	15%
	(vi) Computers	60%
	(vii) Miscellaneous Fixed Assets	15%
	(viii) Generators/Electrical Installations	10%
	(ix) Books	100%
	(x) Communication and Conference System	15%
	(xi) Heating and Cooling Equipment	10%
	(xi) Fire Safety Equipment	10%
	(xii) Elevators	15%
	(xiii) Tube Wells and Water Sewerage System	10%

3. ACCOUNTING TREATMENT IN RESPECT OF FIXED ASSETS ACQUIRED OUT OF GRANT-  
IN-AID/EARNMARKED FUNDS

4. INVESTMENT

5. CORPUS/CAPITAL FUND

6. RETIREMENT BENEFITS/STAFF PENSION FUND

7. GENERAL PROVIDENT FUND

8. CONTINGENT LIABILITY

9. CHANGE OF ACCOUNTING POLICIES AND MATERIAL EFFECT

**(PROPOSED STATEMENT)**

10. While preparing the financial statement ,the principal of accrual system of accounting, concept of going concern, matching concept and consistency have been maintained.
11. The current assets includes postage stamp in hand, cash and bank balance, accrued interest, pre-paid expenses and which have a value on realization in the ordinary course of business equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.
12. Previous year figure of Grant-in-aid A/c and Own Resources A/c have been regrouped wherever necessary.
13. Figures have been rounded off to nearest rupees.

**FORM 27 (A)**

NATIONAL COMMISSION FOR ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSION, NEW DELHI  
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT—GRANT IN AID, OWN RESOURCES, BUILDING FUND  
WORKSHOP FUND FROM 1ST APRIL..... TO 31ST MARCH.....

RECIPE T	SCH	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	SCH	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
OPENING				ESTABLISHMENT			
BALANCE AS ON							
1ST APRIL				SALARY and WAGES			
CASH and BANK							
				Pay			
GRANT IN AID				Grade Pay			
				Non Practicing			
Own Res. With GRT				Allowance			
Total(1)				Deputation Allowance			
				Dearness Allowance			
OWN RESOURCES				House Rent Allowance			
Own Res.SBA/c				Academic Allowance			
FDRs with bank				Transport Allowance			
Total(2)				Wages			
				Personal and Special Pay			
BUILDING FUND and							
WORKSHOP FUND							
Workshop A/c				Total(1)			
Saving Bank A/c							
FDR's with bank				OTHER ALLOWANCE			
Total(3)				Liveries			
G. Total(1+2+3)				Washing Allowance			
				Tution Fee			
GRANT IN AID				Bonus to Staff			
				OTA			
OWN RES.UTILIZATION				Honorarium to Staff			
Total				Sitting Fee			
RECOVERIES				Total(2)			



SALARY and WAGES				STAFFPROVIDENT FUND			
Pay				General Provident Fund			
Dearness Allowance CCA				Total(3)			
Total(1)				STAFF WELFARE EXPENSES			
STAFF WELFARE							
LTCtoStaff				Re-imburement of Medical Claim			
CGHS				CGHS			
Total(2)				LTC to Staff			
				Reimbursement to News Paper			
STAFFPROVIDENT FUND				Total(4)			
Gen. Provident Fund							
Total(3)							

**FORM 27 (B)**

GRANT IN AID, OWN RESOURCES, BUILDING FUND WORKSHOP FUND FROM  
1ST APRIL.....TO 31TH MARCH.....

RECEIPT	SCH	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	SCH	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
EMPLOYEES RETIREMENT BENEFITS				EMPLOYEE RETIREMENT BENEFIT			
Encashment of Leave				Encashment of Leave Gratuity to Staff			
Gratuity to Staff							
Total(4)				Total(5)			
Total(1+2+3+4)				Total(1+2+3+4+5)			
INTEREST EARNED				PURCHASE OFASSETS			
INTEREST FROM BANK				Office Equipment Furniture and Fixture			
SB A/c No.				Sundries			
Investment (Own Res.)				Computer and Software			
Investment (Build.Fund)				Heating and Cooling Eqp.			
				Vehicles			
				Conference System			

Total(1)				Communication System			
				Generator			
INTEREST ON ADVANCE				Tubewell			
Cycle Advance				Fire Fighting Systems			
Car Advance							
Scooter Advance				Total			
HBA							
Computer Advance							
Total(2)				MAINTENANCE OFVEHICLE			
Total(1+2)				Staff Cars			
				POL			
ADVANCE FEE							
				Total(1)			
Inspection Fee-UG							
Registration FEE Cert. Of Addl. Qualification				REPAIR and MAINTENANCE			
Cert. Of Good Standing							
Eligibility Certificate Fee				Fire System Building			
Inspection Fee-PG				Communication System			
Total(1)				Conference System			
				Office Equipments General Electrical Install Computer /Peripherals Furniture and Fixture Heating and Cooling Equip.			

**FORM 27 (C)**

GRANT IN AID, OWN RESOURCES, BUILDING FUND WORKSHOP FUND FROM  
1ST APRIL.....TO 31TH MARCH.....

RECEIPT	SCH	CURRENT YEAR	PREVIOUSYEAR	PAYMENTS	SCH	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
FEES				Photocopier/Fax Elevators			
Annual Insp. Fee Inspection .Fee(P.G.) Addl. Inspection Fee Inspection Fee				Total(2)			
				ADMIN EXPENSES			

OTH Inspection Fee (NEWMC) Inspection Fee(H.C.) Inspection Fee (Seats) Elective Training Registration of Dig./Dip Fee for Complete Verification Recognition Fee for RTIIMR Fee Migration Fee Eligibility Certificate Fee Certificate of Good Standing Registration Fee Certificate of additional Qualification  Total(2)				RMG Election Advertisement Stationary Telephone Postage Printing Electricity and Water Legal/Professional Ch. Hospitality Expenses Bank Charges (Own) Bank Charges(GRT) Insurance of Office Sundries Charges Audit Fee Rent Rate and Taxes Membership to Other Seminar and Workshop E-Governance Project			
Total(1+2)				Total (3)			
OTHER Receipts Sale of Old Articles Quarter Rent Sundries Charges Sale of Tender Form Building Rent Misc. Receipt  Sale of Publication Security Deposit				TRAVEL ALLOWANCE  Secy. and Staff Inspectors Foreign Visit Conveyance Ch. Others (Commission, Boards and Advisory Council)			
Fee for Other Regn/Cert.				Total(4)			
				Total(1+2+3+4)			
Total				ADVANCEFEE			
RECOVERIES and REFUND				ADJUSTMENT			
TRAVEL ALLOWANCE Gen. Body Foreign Visit Secy. and Staff Sub-Committee Inspector Others				Inspection Fee-UG Registration Fee Cert.of Addl.Qiali Cert.of Good Standing Eligibility Cert. Fee Inspection Fee-PG Total(1)			
Total(1)							

## FORM 27 (D)

GRANT IN AID, OWN RESOURCES, BUILDING FUND WORKSHOP FUND FROM  
1ST APRIL..... TO 31TH MARCH.....

RECEIPT	SCH	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENT	SCH	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
LOAN AND ADVANCE TO STAFF				Other Payments Loan and Advance to Staff			
House Building Advance Car advance Computer advance Festival advance Scooter advance Cycle advance				Car Advance House Building Advance Computer advance Festival advance Scooter advance Cycle advance			
Total(2)				Total(1)			
Recoveries and Adjustment – Adv. Pre-paid insurance Sundries Charges				Other Advances and prepaid expenses  Electric Charges Sundries Chargers			
Total(3)							
				Total(2)			
Total(1+2+3)							
				Total(1+2)			
TDS and LIC							
				Refunds of Fee			
TDS on Contractors TDS on Salary LIC Premium  Total				Annual Insp. Fee Inspection Fee Elective Training Regn. of Dipg/Dip Fee for Comp. Verif. Recg. Fee for RTI IMR Fee Migration Fee Eligibility Cert. Fee Cert of Good Standing Registration Fee Cert of Addl Quali			

				Fee for other Regn Share to State Councils.  Total(1)Refunds  Others Security  Deposits Total(2)  Total(1+2)  TDS and LIC TDS on Contractors TDS on Salary LIC Premium Total Expenditure  CME Revision and Print IMR To Own Resources Purchase of Equipments Others  Total Contribution  Pension Fund Total  Bank Charges  Closing Balances Cash and Bank  Grant in Aid Own Res. With GRT  Total(1)  Own Resources  Own Res. S.B.A/c Own Res. FDR,s  Total(2)  Building Fund and Workshop Fund  Workshop A/c Building Fund S.B.			
--	--	--	--	--	--	--	--

				A/c FDR's with Bank			
				Total(3)			
				Total(1+2+3)			
GRANDTOTAL				GRAND TOTAL			

**FORM 27 (E)**  
PENSION FUND BALANCE SHEET AS ON 31.MARCH.....

Liabilities	Schedule	Current year	Previous year
(1)	(2)	(3)	(4)
Corpus/Capital Fund			
Total			
Assets			
Fixed assets			
Current Assets, Loan and Advances			
Total			
Accounts Officer			Secretary

**FORM 27 (F)**

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET FOR THE YEAR ENDED 31.MARCH.....

Schedule-1(Pension Fund)	Schedule	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
CORPUS FUND			
Opening Balance (Corpus Fund)			
Add: Outstanding Pension as on March			
Total			
Schedule-2(Pension Fund)			

Cash at Bank (Saving A/c) Fixed deposit			
Accrued Interest			
<b>Total</b>			

**FORM 27 (G)**

## INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.MARCH.....

Income	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)
Interest Received		
Add Accrued Interest for the year		
Less Accrued Interest—Opening Balance Contribution from Commission		
Total Income(A)		
Expenditure		
Commutation of Pension		
Pension distribution		
Outstanding Pension as on March		
Total Expenditure(B)		
Excess/ (Deficit) Tr. To Pension fund A/c(A-B)		

**FORM 27 (H)**

## STAFF PENSION FUND FROM 1ST APRIL..... TO 31ST MARCH.....

RECEIPT	SC H	CURRENTY EAR	PREVIOUSY EAR	PAYMENT S	SC H	CURRENTYE AR	PREVIOUSY EAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Opening Balance							
As on 1stApril							
FRD's WITH BANK				PENSION			
				COMMUTATI ON			
				PENSION			

SAVING BANK A/C				DISTRIBUTION			
TOTAL				TOTAL			
CONTRIBUTION				INCOME TAX			
TOTAL				TOTAL			
INCOME TAX				Bank Charges			
TOTAL				TOTAL			
INTEREST				Bank Charges			
SAVING BANK A/C				Total			
FDR'S				CLOSING BAL. AS ON 31STMARCH			
TOTAL				FDR'S WITH BANK			
GRAND TOTAL				SAVING BANK A/C			
				TOTAL			
				GRAND TOTAL			

## FORM 27 (I)

STAFF PROVIDENT FUND FROM 1ST APRIL..... TO 31ST MARCH.....

RECEIPT	SCH	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	SCH	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
OPENING BALANCE AS ON 1ST APRIL							
FDR'S WITH BANK				WITHDRAWAL/PAYMENT			
SAVING BANK A/C				LOANS and ADVANCES			
TOTAL							
RECOVERIES							



/SUBSCRIPTION				REFUND TO COMMISSION			
RECOVERY OF ADV.				TOTAL			
SUBSCRIPTION CONTRIBUTION FROM COMMISSION				BANK CHARGES			
TOTAL				TOTAL			
INTEREST				CLOSING BALANCE AS ON 31ST MARCH			
FDR'S				FDR'S WITH BANK			
SAVING BANK A/C				SAVING BANK A/C			
TOTAL				TOTAL			
GRAND TOTAL				GRAND TOTAL			

**FORM 27 (J)**

STAFF PROVIDENT FUND BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH....

LIABILITIES	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(1)	(2)	(3)	(4)
Corpus Fund/Capital Fund			
Interest Payable to Commission			
<b>Total</b>			
ASSETS			
Fixed Assets			
Current Assets, Loan and Advances			
<b>TOTAL</b>			
Accounts Officer Secretary			

**FORM 27 (K)**

STAFF PROVIDENT FUND SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH.....

	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
(1)	(2)	(3)
Schedule-1-GPF/EPFA/C PF-Corpus Fund Opening Balance Add: Subscription/Adv. Recovery Interest Paid to Subscriber Excess/(Deficit) of Income over Expenditure Loan recoverable Others		
<b>TOTAL</b>		
Less Withdrawal		
New Corpus Fund		
Schedule-2 Interest Payable		
<b>TOTAL</b>		
Schedule-3-Current Assets  Bank Balance and Fixed Deposit Accrued Interest Loan recoverable		
<b>TOTAL</b>		

**FORM 27 (L)**

STAFF PROVIDENT FUND INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH.....

<b>INCOME</b>	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
(1)	(2)	(3)
Interest Earned Add: Accrued Interest for the year Less: Accrued Interest Opening Balance Commission Contribution		
<b>Total</b>		
Expenditure		
Bank Charges Interest paid to Subscriber Interest paid/payable to Commission A/c		
<b>Total</b>		
Excess/(Deficit) of Income over Expenditure Transfer to GPF A/c.		

**FORM 27 (M)**

STAFF PROVIDENT FUND FROM 1ST APRIL TO 31ST MARCH....

RECEIPT	SCH	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	SCH	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
OPENING BALANCE AS ON 1ST APRIL FDR'S WITH BANK SAVING BANK A/C TOTAL RECOVERIES/ SUBSCRIPTION RECOVERY OF ADV. SUBSCRIPTION CONTRIBUTION FROM COMMISSION TOTAL INTEREST FDR'S SAVING BANK A/C TOTAL				WITHDRAWAL/ PAYMENT LOANS and ADVANCES REFUND TO COMMISSION TOTAL BANK CHARGES TOTAL CLOSING BALANCE AS ON 31ST MARCH FDR'S WITH BANK SAVING BANK A/C TOTAL			
<b>GRAND TOTAL</b>				<b>GRAND TOTAL</b>			

[F.No. Z-28016/23/2024-AHS]

PUSHPENDRA RAJPUT, Jt. Secy.

[**Note:** National Commission for Allied and Healthcare Professions Rules, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide G.S.R.346(E), dated the 27th May, 2021.]